



2026:AHC:60506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11594/2026

चंद्र कांत पाराशर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: राजेंद्र प्रसाद

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह आवेदन, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 8197/2024 (बुंदू खान अंसारी बनाम हनी चावला) में पारित समन आदेश दिनांक 11-06-2024, तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, मेरठ के समक्ष लंबित एन.आई. एक्ट की धारा 138, थाना-लाल कुर्ती, जिला-मेरठ के अंतर्गत आवेदक के संपूर्ण अभियोजन को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत एक



परिवाद दायर किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि धन के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय शीर्ष न्यायालय के 'दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.', 2010 (5) SCC 663 में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के विषय पर कानून सुधार की दिशा में कुछ विचार-मामलों की बाढ़ से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

'...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) सजा प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। शिकायतकर्ता की रुचि चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय मुख्य रूप से धन की वसूली में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस आरोपी के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने के लिए तैयार है, चेक धारक के पास उपचार के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ उन दर्ज शिकायतों की संख्या की जांच करें जिनमें अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निपटारा' हो गया था और दूसरी तरफ उन मामलों की जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया था और केवल बहुत कम संख्या में ही मामले जारी रहे।'

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक के अनादर के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल



द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में शमन को बहुत देरी से चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्ष मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों का संज्ञान लेते ही इसे चुनने के बजाय अंतिम विकल्प के रूप में शमन को चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने के इच्छुक हैं और फिर समझौते का मार्ग तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि शमन को चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटने या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आमतौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्ष मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन को चुनें। हालांकि, यदि आरोपी के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि आरोपी आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए आवेदन कर सकता है तथा चेक की राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा



आवेदन किए जाने पर, संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और आरोपी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से 'दामोदर एस. प्रभु' (उपरोक्त) के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर मुकदमे का सामना करना होगा और न्यायालय आरोपी के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून सम्मत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में निर्णय दिए जाने तक, जो भी पहले हो, आरोपी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक या कठोर उपाय नहीं अपनाए जाएंगे।
8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी आरोपी के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह आवेदन दायर किया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

नितिन वर्मा